संख्या–1464/XXIV-3/07/02(81)/2007

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून:दिनांक 11 फरवरी 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में जिला पुस्तकालय चम्पावत के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 31900/5 ख 1/रा0मा0न0वि0,दे0/2007–08, दिनांक 18 सितम्बर,2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला पुस्तकालय चम्पावत के भवन निर्माण हेतु उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून द्वारा गठित आगणन एवं टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 33.55 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में शासनादेश संख्या–1010/XXIV-3/07/02(20)/2007, दिनांक 03 अगस्त, 2007 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 30.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन करना आवश्यक होगा, तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा, जितना कि स्वीकृत नार्मस हैं। स्वीकृत नार्मस से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6– निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज के नियमों का पालन करना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कर लें।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भलीभांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री को किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

अपण

क्रमशः– 2

10– जी0पी0डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई,2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित कराते समय कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12– निर्माण की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याक्षा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा–आयोजनागत–18–पुस्तकालय भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–480(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2007, दिनांक 29 अक्टूबर,2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

संख्या–1464(1)/XXIV-3/07/02(81)/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– जिला शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
8– जिलाधिकारी, चम्पावत।
9– कोषाधिकारी, चम्पावत।
10– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
11– वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
12– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
14– सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव